(112)

न्यायालय राजस्व मंडल मोती महल ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/इंदौर/भू-रा/2017/2307 प्रकरण क्रमांक ..../निगरानी/..........

चंदा पति श्री ललित पाटनी
निवासी – 344, ए.डी. स्कीम नं. 74–सी, जिला इंदौर (म.प्र.)

.........................प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुरेश पिता रामेश्वरदास बंसल
   निवासी – दिल्ली इन्दौर का पता
   10 बीए/एस.आर कम्पाउंड देवास नाका, इन्दौर

2. अन्नपूर्णा उर्फ अनुसईया बाई जोशी पति श्री भंवरलाल जोशी
   निवासी – 179, वृदावन गार्डन. पिपल्याहाना, जिला इंदौर (म.प्र.)

3. बापूसिंह पिता ओंकारसिंह राजपूत
   ग्राम – अरंडिया, तहसील एवं जिला – इन्दौर

4. राजस्व निरीक्षक कार्यालय,
   कार्यालय–राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2
   विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

5. श्रीमान तहसीलदार, विजय नगर क्षेत्र
   कलेक्टर कार्यालय, तहसील एवं जिला– इन्दौर

.....................प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 अंतर्गत

आवेदक की ओर से अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा दिनांक दिनांक 28.06.2013 को निष्पादित सीमांकन, पंचनामा एवं फील्ड बुक से पीड़ित एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रं. 4 द्वारा उक्त पंचनामा एवं फील्डबुक में विधि की गंभीर भूल एवं त्रुटि की गई है। इस संबंध में पंचनामा दिनांक 28.06.2013 एवं फील्ड बुक की छायाप्रति **प्रदर्श पी/1** पर संलग्न है।

2. यह कि, प्रार्थी विधिवत् रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.03.2007 से ग्राम अरंड़िया स्थित कृषि भूमि रकबा 12000 फीट होकर उस पर स्वामी नाते काबिज होकर उस पर उसका लगातार, शांतिपूर्वक, निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति **प्रदर्श पी/2** पर संलग्न है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2307

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/9/17	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 विजयनगर क्षेत्र जिला इंदौर द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं पंचनामा दिनांक 28–6–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18–7–16 को लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	